

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प.1(20)(2) रानिआ/लेखा/2019-20/ 164

दिनांक : 6-1-20

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(जिला कलक्टर) बीकानेर।

विषय:-पंचायत चुनाव कार्य में नियोजित कार्मिकों की दैनिक भत्ता दरों के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 12 दिनांक 01.01.2020


महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में चुनाव कार्य में नियोजित कार्मिकों के यात्रा भत्ता हेतु जारी आदेश क्रमांक 3848 दिनांक 07.10.2019 की दर पंचायत आम चुनाव 2020 के लिए नियुक्त मतदान अधिकारी (Presiding Officer) व सहायक मतदान अधिकारियों के लिए निम्नानुसार लागू होगी:-

पद का नाम	दैनिक भत्ते की दर
1. मतदान अधिकारी	500 /-
2. सहायक मतदान अधिकारी-I	400 /-
3. सहायक मतदान अधिकारी-II	400 /-
4. सहायक मतदान अधिकारी-III	400 /-
5. सहायक मतदान अधिकारी-IV (Class-iv)	250 /-

सरपंच/पंच के नाम निर्देशन हेतु रिटर्निंग अधिकारी की सहायता हेतु नियोजित मतदान अधिकारी या कार्मिक को उसकी योग्यतानुसार मतदान अधिकारी/सहायक मतदान अधिकारी के लिए निर्धारित दर @ 500/400/- रु. के अनुसार भुगतान देय है।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।


(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव


राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 6-1-20

क्रमांक: प.1(20)(2) रानिआ/लेखा/2019-20/ 165

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजस्थान।


(नारायण लाल श्रीवास्तव)
वरिष्ठ लेखाधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।